समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़

समाज कल्याण परिसर,माना कैम्प, रायपुर
फोन नं. 0771–2277901 ई–मेल dpsw.cg@gov.in वेब साईट– sw.cg.gov.in, Helpline-155326

क्रमांक/स्था.4/98–III /प्लेसमेंट/2023/1251 रायपुर, दिनांक 28.12.2023

//विज्ञापन//

प्लेसमेंट एजेंसी से कर्मचारी (मानव संसाधन) उपलब्ध कराने बाबत्

समाज कल्याण, संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक/ हेतु दिनांक 19.01.2024 सायंकाल 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कार्यालयीन समय में संचालनालय समाज कल्याण, माना कैम्प रायपुर में निविदा दर कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/531/सिविल–2/2023 दिनांक 27.10.2023 में दिये गयें दर अनुसार/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार आमंत्रित किये जाते है। श्रम विभाग के पंजीयन प्रमाण–पत्र धारी एजेंसी का ही आवेदन स्वीकार होगा।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्ते कार्यालय समाज कल्याण संचालनालय, माना कैम्प, रायपुर तथा वेबसाईट www.sw.cg.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

26.12.23

अपर संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़,रायपुर

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तें

1. दर दो लिफाफा पद्धति से देना होगा प्रथम लिफाफे में 1000/– अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में एवं श्रम विभाग का वैध पंजीयन देना होगा तथा द्वितीय लिफाफे में निविदा दर देना होगा। एफ.डी.आर. की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
2. अभिरूचि की अभिव्यक्ति की अर्हताएं :–
    1. श्रम विभाग का वैध पंजीयन होना अनिवार्य है।
    2. 02 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
    3. कर्मचारी की मांग से 03 गुना कर्मचारियों का पंजीयन।
    4. वेतन भुगतान हेतु 02 माह का बैंक बैलेंस।
    5. राशि रूपये 5.00 लाख की परफारमेन्स गारंटी (साल्वेंशी) की पात्रता का प्रमाण–पत्र।
3. संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्यालयीन समस्त कार्य करने पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए।
4. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों में संचालनालय द्वारा निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक के लिए शासन द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिये।
5. कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
6. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कर्मचारियों को बदलने का अधिकार समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को होगा। कार्य में संतोषजनक सुधार नहीं होने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
7. किसी भी कर्मी की सेवा में लेने, ना लेने, सेवाएं निरंतर ना रखने के संबंध में 'राइट टू रिजेक्ट'' इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक को शाखा प्रभारी द्वारा सत्यापन कर उनका उपस्थिति प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारी अनुपस्थित रहने पर उस दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इस कार्यालय द्वारा उपस्थिति प्रमाण–पत्र अनुसार भुगतान देय होगा।
9. एजेन्सी को जिला कलेक्टर–रायपुर के आदेश क्रमांक 531/सिविल–2/2023 दिनांक 27.10.2023 द्वारा अवधि दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 के लिए निर्धारित दर को आधार मानकर दर प्रस्तुत करना होगा, तथा निविदा दर में वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., सर्विस टेक्स एवं सर्विस चार्ज जोड़कर प्रस्तुत किया जायेगा।

10. कर्मियों को कलेक्टर दर पर भुगतान बाह्य एजेंसी द्वारा देय होगा तथा समय–समय पर कलेक्टर दरों में वृद्धि किये जाने पर कर्मचारियों को तदनुरूप देय राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को भुगतान एजेंसी द्वारा माह की तारीख 01–07 के बीच में बैंक एकाउन्ट के माध्यम से किया जाना होगा। भुगतान में विलम्ब होने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा। भुगतान के पश्चात् 01 सप्ताह में देयक प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान 15 दिवस के भीतर होगा।

12. प्रत्येक कर्मचारी का ई.पी.एफ.राशि, ई.एस.आई.सी. एवं अन्य सर्विस चार्जेस/टेक्सेस/ इन्श्योरेंस आदि को जमा करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।

13. समय पर देयक प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। समयावधि में देयक प्रस्तुत नहीं करने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

14. अनुबंधकर्ता को छत्तीसगढ़ में प्रचलित लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट की धारा एवं नियमों का पालन करना होगा, उसके लिए संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा।

15. निर्धारित मापदण्ड दर पर कार्य न करने पर क्रमशः द्वितीय, तृतीय व अन्य निर्धारित मापदण्ड दर के प्रस्तावको को निर्धारित मापदण्ड दर पर सहमति प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे सकेंगे।

16. अभिरूचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर सुरक्षा निधि रूपये 25,000/– का एफ.डी.आर. दो दिवस के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात् संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।

17. अनुबंधकर्ता द्वारा 07 दिवस में कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होगा विलम्ब होने पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

18. अनुबंधित एजेंसी का कार्यवधि एक वर्ष के लिए होगी। एजेंसी का कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में कार्यवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में अभ्यावेदन संचालक को प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अपील सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण को किया जा सकेगा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

(संचालक–सह–आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

26.12.23

अपर संचालक
समाज कल्याण,संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर